अभिनव पहल

गॉव–गॉव सोशल आडिट का यह है पैगाम,

करते हो जो काम, मिला है उसका क्या दाम।

अभिनव पहल

पारदर्शिता

सहभागिता

जवाबदेही

डॉ0 महेन्द्र सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

सन्देश

महात्मा गाँधी नरेगा की रचनात्मक बात यह है कि इसमें अनवरत सार्वजनिक सतर्कता के साधन के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। सामाजिक लेखा परीक्षा पारदर्शिता, सहभागिता, परामर्श तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। इसका मूल उद्देश्य परियोजनाओं, विधियों तथा नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट की कार्यवाही कराई जा रही है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा में जनसहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ अभिनव प्रयास किये गये है, जिनका संकलन पुस्तिका के रूप में करके विभिन्न स्तरों पर ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा।

निश्चय ही जनता की व्यापक भागीदारी सोशल आडिट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण अवयव है। मैं सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि ऐसे प्रयासों को निरन्तर बढ़ावा देने में यह पुस्तिका अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तिका को प्रकाशित करने के लिए प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं निदेशक, सोशल आडिट का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

(डॉ0 महेन्द्र सिंह)

अनुराग श्रीवास्तव
आई0ए0एस0
प्रमुख सचिव

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

सन्देश

वर्तमान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल आडिट निदेशालय द्वारा सम्पन्न करायी जा रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक में जनता की सहभागिता अपेक्षित स्तर की न होने के कारण ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निदेशक, सोशल आडिट द्वारा ग्राम सभा की जनसुनवाई बैठक की उद्घोषणा माइक के माध्यम से कराने एवं जनजागरूकता रैली जैसे अभिनव प्रयास किये गये हैं। जनसहभागिता में वृद्धि के लिए निदेशालय द्वारा सोशल आडिट टीमों के माध्यम से पोस्टर एवं दीवार लेखन कराकर भी ग्राम सभा की बैठक का समय व स्थान की सूचना देने की पहल की जा रही है, जिससे बैठक में ग्रामीणों एवं लाभार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

जिला विकास अधिकारी, हरदोई द्वारा विकास खण्ड क्षेत्र की आडिट प्रारम्भ होने से पूर्व इन्ट्री कान्फ्रेन्स के माध्यम से अभिलेखों की प्राप्ति एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सोशल आडिट से जुड़े विभिन्न कार्मिकों एवं टीमों की संयुक्त बैठक करके एक अच्छी टीम भावना के साथ काम करने की शुरूआत की गई है। इन्ट्री कान्फ्रेन्स का यह प्रयोग प्रदेश के और जनपदों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, जिससे अभिलेखों की उपलब्धता एवं कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने में सहायता मिली है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तिका के प्रकाशन के माध्यम से जनसहभागिता को बढ़ाने हेतु और अधिक प्रयास करने के लिए अधिकारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी तथा सोशल आडिट के उद्देश्यों की पुस्तिका में पत्रिका अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

धन्यवाद।

(अनुराग श्रीवास्तव)

अभिनव पहल

कु. रेखा गुप्ता
निदेशक

सोशल आडिट निदेशालय,
उत्तर प्रदेश

निदेशक की लेखनी से

महात्मा गाँधी नेरगा, योजना नागरिकों को योजना के अन्तर्गत हुए व्यय एवं कराये गये कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा का अधिकार देती है। निदेशक के रूप में योगदान करने के बाद मैंने अनुभव किया कि ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली सोशल आडिट ग्राम सभा बैठकों में जनता की सहभागिता अपेक्षित स्तर की नहीं है अस्तु ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों एवं स्टेक होल्डर्स की व्यापक भागीदारी हेतु सर्वप्रथम 5 जनपदों में पायलेट आधार पर माइक के माध्यम से बैठक कार्यक्रम की उद्घोषणा कराने की शुरुआत कराई गई तथा जिला विकास अधिकारियों को जनजागरुकता रैली निकालने कि लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही ग्राम सभा की बैठकों के प्रचार हेतु पम्पलेट वितरण को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया है। विकास खण्ड की आडिट प्रारम्भ होने से पूर्व इन्ट्री कान्फ्रेन्स के माध्यम से अभिलेखों की प्राप्ति एवं सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु सोशल आडिट से जुड़े विभिन्न कार्मिकों की बैठक करके अच्छी टीम भावना के साथ काम करने की शुरूआत की गई है।

सोशल आडिट की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु निदेशालय के परामर्शियों के माध्यम से आडिट रिपोर्ट की टेस्ट चेकिंग भी प्रारम्भ करायी गयी है। जिससे टीमों द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन सुनिश्चित कराने में सहायता मिलेगी।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तिका के जनपदों में वितरण करने से अधिकारियों के बीच जनसहभागिता को बढ़ाने हेतु और अधिक अभिनव प्रयोग करने की भावना विकसित होगी तथा सोशल आडिट के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में पुस्तिका अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

धन्यवाद।

(कु. रेखा गुप्ता)
निदेशक

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	अभिनव प्रयास – एक कारगर उपाय	11
2	खास बात	13
3	**अध्याय–1 :**	
	निदेशालय द्वारा किए गए अभिनव प्रयास	17
(i)	कन्सलटेन्ट्स द्वारा सोशल आडिट एवं टीमों के प्रशिक्षण में सहभागिता	
	❖ जनपद देवरिया, विकास खण्ड गौरीबाजार की ग्राम पंचायत करजही	18
	❖ जनपद देवरिया, विकास खण्ड गौरीबाजर की ग्राम पंचायत ककवल	19
	❖ जनपद प्रयागराज के अर्न्तगत क्प्त्व बसनेहटा, विकास खण्ड प्रतापुर में सोशल आडिट टीम सदस्यों के प्रशिक्षण में सहभागिता	20
	❖ जनपद श्रावस्ती में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विद्यमान स्थिति का अवलोकन	22
	❖ जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना की ग्राम पंचायत भगवानपुर बनकट की सोशल आडिट कार्यवाही में सहभागिता	22
	❖ जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना की ग्राम पंचायत भरथापुर की सोशल आडिट की कार्यवाही में सहभागिता	24
	❖ जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा की ग्राम पंचायत अमहर पट्टी दक्षिणी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट	25
	❖ जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा की ग्राम पंचायत अमहर पट्टी उत्तरी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट	26
	❖ जनपद अयोध्या के क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, डाभा सेमर में आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना।	28

	❖ जनपद खीरी, के विकास खण्ड मितौली की सोशल आडिट कार्यवाही में प्रतिभाग करना।	29
	❖ जनपद खीरी, विकास खण्ड मितौली की ग्राम पंचायत खंजन नगर–ग्राम सभा में प्रतिभाग करना।	30
	❖ DIRD कानपुर नगर में जनपद कानपुर देहात की सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना	32
	❖ जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हसनगंज की ग्राम पंचायत फरीदीपुर में आयोजित सोशल आडिट कार्यक्रम में प्रतिभाग करना।	33
	❖ जनपद सीतापुर, विकास खण्ड कस्मांडा की ग्राम पंचायत बम्भेरा में आयोजित सोशल आडिट प्रक्रिया में प्रतिभाग करना।	35
	❖ RIRD रायबरेली में संचालित सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान करना।	36
	❖ कन्नौज छिबरामऊ में प्रशिक्षण कार्य में प्रतिभाग करना	37
	❖ (ii) सोशल आडिट टेस्ट चेक – एक पहल	38
	जनपद हरदोई	38
4.	अध्याय–2 :	41
	प्रचार–प्रसार	41
5.	अध्याय–3 :	43
	सोशल आडिट के क्षेत्र में जनपदों द्वारा किए गए अभिनव प्रयास	43
	❖ जनपद–श्रावस्ती	43
	❖ जनपद–हमीरपुर	45
	❖ जनपद–वाराणसी (Entry Conference)	47
	❖ जनपद–हाथरस	49
	❖ जनपद–हरदोई।	50

अभिनव प्रयास – एक कारगर उपाय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के पैरा–17 में सोशल आडिट की व्यवस्था की गयी है। यह अपेक्षा की गयी है कि सोशल आडिट के माध्यम से ग्रामसभा के इस निमित्त चयनित ग्रामीणों की सोशल आडिट टीमों द्वारा किसी परियोजना अथवा कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखों और दस्तावेजों की जांच के साथ ही कार्यों का भौतिक सत्यापन, आवश्यकता, गुणवत्ता, उपयोगिता, उपलब्धियाँ और उनके क्रियान्वयन के फलस्वरूप लाभार्थियों के जीवन स्तर के उन्नयन एवं प्रभाव की समीक्षात्मक जांच समाज की सहभागिता और निगरानी में पारदर्शितापूर्वक की जायेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 भारत सरकार द्वारा 30 जून, 2011 को प्रख्यापित की गयी है, जिसमें सोशल आडिट के लिए स्वतंत्र सोशल आडिट संगठन की स्थापना, सोशल आडिट की पूर्व अपेक्षाएँ, सोशल आडिट की प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं।

सोशल आडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसाधारण द्वारा स्कीम या कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जाता है। सोशल आडिट की प्रक्रिया सभी संगत सूचना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं सूचना को अनावश्यक रूप से गोपनीय बनाने की प्रवृत्ति को जड़मूल से समाप्त करने पर निर्भर है।

सोशल आडिट में किसी योजना अथवा कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी लेखों एवं दस्तावेजों की जांच के साथ कार्यों का भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता, उपयोगिता, विशेष उपलब्धियां एवं किसी योजना या कार्यक्रम की लाभार्थियों के जीवन स्तर पर प्रभाव की जांच समाज की सहभागिता और निगरानी में की जाती है।

सोशल आडिट जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इससे प्रशासनिक जवाबदेही, जिम्मेदारी, जन सहभागिता और पारदर्शिता स्थापित होती है।

सोशल आडिट से ग्रामीणों में आई हक के लिए जागरूकता धीरे–धीरे प्रश्न पूछने और हिसाब माँगने लगी है। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की जोर पकड़ती माँग के बीच सोशल आडिट के विचार एक कारगर समाधान है। समाज कल्याण की नीतियों और योजनाओं में सरकारों ने इसे जगह दी है। प्रचार–प्रसार तथा सोशल आडिट के नीतिगत उपकरणों के माध्यम से अधिकार चेतन नागरिक में तब्दील कर रहे हैं। ग्रामीण भारत धीरे–धीरे प्रश्न पूछने और हिसाब मांगने वाले सतर्क नागरिकों के लोकतंत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दरअसल सारी सरकारी और स्थानीय निकाय स्तर की योजनाओं को सोशल आडिट से संचालित करने की जरूरत है। बल्कि मेरा तो मानना है कि विकास कार्य पूर्ण होने अथवा पूर्ण होने के दौरान ही नहीं बल्कि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) बनाने के पूर्व भी सोशल आडिट कराया जाना आवश्यक है, ताकि आमजन को ज्ञात हो सके कि विकास कार्य उन्हें लाभान्वित करेगा अथवा नहीं। इसका अनुभव मैंने तब

किया जब अपने एक तैनाती के दौरान मैंने स्थलीय निरीक्षण में पाया कि सीवर लाइन सोसाइटी के खाली प्लाटों पर डाल दिया गया जिससे जनता के स्थान पर कोलोनाइजर को लाभ हुआ। सोशल आडिट का ध्येय केवल हिसाब लेना ही नहीं बल्कि धन की बर्बादी को रोकना भी होना चाहिए। निहित स्वार्थ से प्रेरित, जनहित को दरकिनार करते हुए पूँजीपतियों को लाभान्वित करके धन की बर्बादी को रोकना भी होना चाहिए। इससे न सिफ अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी बल्कि लोगों को इस बात का भी अहसास होगा कि किस तरह जिम्मेदारी के साथ विकास कार्य किए जाने चाहिए और पाई–पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए। संक्षेप में सोशल आडिट का अर्थ है कि स्थानीय लोग सरकारी योजनाओं पर निगाह रखें और पैसा किस तरह खर्च हो रहा है, इसे तय करें।

अभिनव पहल पुस्तिका को छापने का उद्देश्य, सोशल आडिट क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों में एक ललक पैदा करना एवं नयी ऊर्जा का संचार करना है ताकि सभी के सतत् प्रयास से सोशल आडिट नए आयाम तक पहुँच सके। कुछ नया कर गुजरने की चाह से ही, इस क्षेत्र में नए–नए प्रयोग हो सकेंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आपस में सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे नए प्रयोग सामने आएंगे। इतिहास गवाह है कि नए प्रयोगों से ही नई दिशा मिलती है और एक नया स्वरूप जन्म लेता है।

हमारा मिशन – अभिनव प्रयास।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0।

खास बात

- साल 1993 के 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम–समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है।
- साल 1992–93 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा और म्युनिस्पल निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खाते रखे जायें और जनता उनकी परीक्षा करे।
- सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सरकारी एजेंसियां अपने विकास कार्यों से संबंधित ब्यौरे किसी सार्वजनिक मंच पर लोगों से साझा करती हैं। इससे जनता को न सिर्फ विकास कार्यों की जांच का मौका मिलता है बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।
- सोशल ऑडिट शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1950 के दशक में हुआ। पिछले आठ सालों में यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अन्तर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है।
- नरेगा के अन्तर्गत अनुच्छेद 17(2) में कहा गया है ग्राम सभा नरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। फिर अनुच्छेद 17(3) में कहा गया है– ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरुरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नापी–जोखी से संबंधित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सोशल ऑडिट के लिए मुहैया कराये।
- नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान तीन स्तरों पर किए गए हैं। पहला है शुरुआती तैयारी का चरण, दूसरा सामाजिक अंकेक्षण के फोरम से संबंधित है और तीसरा है सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गतिविधियों से संबंधित प्रावधान।
- सामाजिक अंकेक्षण फोरम यानी ग्राम सभा की मीटिंग हर छह महीने पर अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता फोरम द्वारा चुना गया व्यक्ति करेगा और ग्राम सभा के आयोजन की सूचना व्यापक रुप से फैलायी जानी चाहिए।
- पहले किए गए सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में क्या कार्यवाइयां हुईं इसकी एक रिपोर्ट ग्रामसभा की बैठक में जरुर पढ़ी जानी चाहिए। सभी संबद्ध अधिकारियों की इस सभा में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही सभा की कार्यवाही का ब्यौरा सचिव द्वारा विधिवत तैयार किया जाना चाहिए।
- सामाजिक अंकेक्षण के बाद के चरण में उन सभी शिकायतों पर सुनवाई होनी चाहिए जिनसे काम का

ना होना प्रकट होता है। जो भी व्यक्ति नरेगा के कोष की हेराफेरी का दोषी पाया जाये उस पर समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

❖ नरेगा से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण के कानून में साफ साफ बताया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्रम में किस चरण में किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की इकाई को गठित करने और चलाने का खर्च वहन करेगी।

❖ सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित् संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण से जवाबदारी तय होती है और कामकाज में पारदर्शिता आती है।

❖ पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा को पंचायतों के प्रभावकारी संचालन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्रामसभा के जरिए समाज के कमजोर तबके के सदस्य पंचायत के कामों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

❖ खुली ग्रामसभा के विधिवत संचालन एवं जनसहभागिता से पारदर्शिता एवं जवाबदेही और लक्ष्यप्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्रामसभा को पंचायत राजप्रणाली में पहरेदार की भूमिका दी गई है। अधिकांश राज्यों में ग्रामसभा की जिम्मेदारी है कि वह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज की निगरानी करें।

❖ पंचायतीराज कानून में ही ग्रामसभा को सामाजिक अंकेक्षण की भी ताकत दी गई है। ग्रामपंचायत, ग्रामसभा और जिलापंचायत के सदस्य अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक सरोकार और जनहित के मसले उठा सकते है और इस संदर्भ में कैफियत तलब कर सकते हैं।

❖ पंचायती राज कानून को ज्यादा कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने 1996 में एक और कानून पंचायतस् (एक्सटेंशन टू द शिडयूल्ड एरियाज) नाम से बनाया। इस कानून के तहत संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम (1992) के प्रावधानों को आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के जनजातीय इलाकों तक विस्तरित किया गया। 24 दिसम्बर 1996 को यह अमल में आया।

❖ सामाजिक अंकेक्षण संविधान के 73 वें संशोधन के बाद से अनिवार्य हो गया है। इसके जरिए ग्रामीण समुदाय को अपने अपने इलाके में हर तरह के वैकासिक कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार दिए गए हैं। कानून के मुताबिक सामाजिक अंकेक्षण के काम में अधिकारियों को हर तरह की सहायता मुहैया करानी होगी।

- पंचायत (एक्सटेंशन टू द शिड्यूल्ड एरियाज्–1996) के प्रावधानों के अनुसार गांव में अगर कोई विकास–कार्य हो रहा है तो उसके पूरे होने का प्रमाणपत्र सिर्फ ग्रामसभा जारी कर सकती है।
- साल 1992–93 में किए गए संविधान संशोधन के बाद यह बात साफ हो गई कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली में ग्रामसभा और म्युनिस्पल वार्ड ही जवाबदेही तय करने की भूमिका निभायेंगे। अधिकारी वर्ग का काम इसमें सहयोग करना होगा चाहे यह अधिकारी वर्ग ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि ही क्यों ना हो। जवाबदेही तय करने का काम जनता करेगी क्योंकि विकास कार्य का एकमात्र लक्ष्य वही है।
- सामाजिक अंकेक्षण के काम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। पंचायतों और म्युनिस्पल वार्डों की जिम्मेदारी होती है कि वे गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करें लेकिन पंचायत और म्युनिस्पल स्तर पर जवाबदारी तय करने की मशीनरी सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधानों के बावजूद बहुत कमजोर है। ज्यादातर राज्यों ने इस दिशा में आधे अधूरे मन से कदम उठाये हैं। संविधान संशोधन के बाद जिला नियोजन समितियों को नियोजन का अधिकार मिला लेकिन ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए जिला स्तरीय समितियां कारगर प्रयास नहीं करती। ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकार्ड कीपिंग का काम हेरफेर का शिकार होता है अथवा उसमें तार्किक संगति का अभाव मिलता है। किसी विकास कार्य के पूरे होने का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले स्थानीय शासन की इकाईयाँ यूरोप में संबद्ध जनता की शिकायतों को भी सुनती हैं लेकिन भारत में यह बात अभी तक अमल में नहीं आ पायी है।
- प्रजातांत्रिक सरकार में नागरिकों को प्रश्न पूछने और शिकायतें दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार प्रशासन में सुधार आता रहता है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से जवाबदेही के संस्थागत स्वरूप में पारदर्शिता लाई जा सकती है।
  - 1990 के मध्य में, मजदूर–किसान शक्ति संगठन ने ग्राम विकास पर होने वाले व्यय में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जन सुनवाई का प्रयोग किया था। इससे सूचना के अधिकार को शक्ति मिली
  - राजस्थान के पाँच ब्लॉक में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरूआत की गई। सूचना मिलने से भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ। आधे–अधूरे भवनों को पूरा दिखाया गया था। नकली विकास कार्यों पर पूरा भुगतान किया गया था।
- **इस प्रकार की अनियमितताओं को देखते हुए लोगों ने चार मुख्य मांगें रखीं।**

(1) विकास कार्यों पर व्यय होने वाली राशि के रिकार्ड का खुलासा किया जाए;

(2) जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए अधिकारियों की उपस्थिति एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए;

(3) शिकायतों को जल्द–से–जल्द सुलझाया जाय, और गबन की हुई राशि को वसूल कर जल्द से जल्द सम्बन्धित योजना में लगाया जाए

(4) सामाजिक ऑडिट अनिवार्य हो।

इन जन सुनवाई कार्यक्रमों के परिणामतः ''हमारा पैसा, हमारा हिसाब'' जैसे नारे दिए जाने लगे। यही सामाजिक अंकेक्षण की सार्थकता रही।

❖ हाल ही में अकांउटेंट जनरल के एक अधिवेशन में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा था कि, ''एक अच्छा लेखा परीक्षक (ऑडिटर), एक अच्छा श्रोता होता है।'' यह तभी संभव हो सकता है, जब भारत में लेखा परीक्षा को प्रजातांत्रिक जड़ों से वापस जोड़ दिया जाए, और उसे अपेक्षित स्थान दिया जाए। ऐसा होने पर ही सोशल ऑडिट औपचारिक ऑडिट प्रक्रिया का एक आंतरिक और मजबूत भाग बन सकेगा।

❖ सोशल ऑडिट यह बताती है कि योजना के क्रियान्वयन और सामाजिक कार्यक्रमों की देखरेख में लोगों की भागीदारी का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ग्राम सभा की भूमिका में बहुत परिवर्तन आ गया है।

❖ सोशल ऑडिट की शुरूआत मनरेगा (महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट) के द्वारा की गई थी। संसद, उच्चतम न्यायालय और अनेक मंत्रालयों ने क्रमशः इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में इनकी सार्थकता को जांचने–परखने का काम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज ने किया है।

सोशल ऑडिट से जुड़ी कुछ खास बातें –

❖ अलग–अलग स्तरों पर होने वाली जनसुनवाई या जन भागीदारी मंच इस कार्यक्रम की आत्मा कहे जा सकते हैं। इसके माध्यम से लोगों में प्रजातंत्र के प्रति विश्वास दृढ़ होता है।

❖ इसके अंतर्गत होने वाली कार्यवाही को लिखा नहीं जाता। बाहर से देखने पर यह नाटकीय भी लग सकती है, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही में लोग गलत नीतियों, भ्रष्टाचार आदि के विरोध में खुलकर रोष प्रकट करते हैं।

❖ बाधाओं के बाद भी सोशल ऑडिट अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। 2016 में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने सोशल ऑडिट के लिए कुछ दिशा–निर्देश बना दिए हैं। विश्व में शायद, सोशल ऑडिट के लिए ऐसे मानक पहली बार तैयार किए गए हैं।

हमारी वर्तमान सरकार की डिजीटलीकरण की नीति से पारदर्शिता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सोशल ऑडिट एक ऐसा मंच बन सकता है, जहाँ लोगों को सरकारी आँकड़ों और कार्यवाहियों की सही जानकारी मिल सकती है। आज यह जनता के लिए नैतिक, वैधानिक और प्रजातांत्रिक आवश्यकता बन गई है।

सोशल आडिट के क्षेत्र में अभिनव प्रयास

अध्याय–1

निदेशालय द्वारा किए गए अभिनव प्रयास :

दिसम्बर, 2018 में पूर्णकालिक निदेशक, अपर निदेशक (वित्त) तथा दो परामर्शी ने निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया। प्रथम प्रयास यह किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक अधिकतम सोशल आडिट कराये जायें। जनवरी माह से तीन माह का कैलेण्डर जारी करते हुए टीमों को प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात् 66 जिलों के 206 विकास खण्डों में 11679 ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। आचार संहिता लागू होने तक वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 21008 ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराया गया। अब तक निदेशालय की भूमिका दिशा–निर्देश जारी करने, धनराशि का अवतरण एवं सूचना एकत्रित करने तक की रही है। पहली बार निदेशालय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही सोशल आडिट से जुड़ने का अभिनव प्रयास किया गया। प्रशिक्षण एवं किए जा रहे सोशल आडिट में समय–समय पर कन्सलटेन्ट्स द्वारा सहभागिता करके सोशल आडिट करने वाली टीमों एवं गाँव सभा के जन–सामान्य से सीधे संवाद स्थापित किया गया, जिसके कारण सभी स्तरों पर एक आत्म विश्वास जागृत हुआ। यह भी पता चला कि सोशल आडिट प्रक्रिया में कहाँ–कहाँ सुधार की आवश्यकता है। सोशल आडिट का मुख्य उद्देश्य जन–जन तक जागरूकता फैलाना तथा आम जनता को अपनी बात बेझिझक कहने के लिए एक मँच प्रदान करना है।

कन्सलटेन्ट्स द्वारा सोशल आडिट एवं टीमों के प्रशिक्षण में सहभागिता

निदेशालय द्वारा कार्यरत दोनों कन्सलटेन्ट्स के मध्य सुगमता एवं गहनता से कार्य करने के उद्देश्य से मण्डलों का विभाजन किया गया। दोनों को 09–09 मण्डल आवंटित किए गए। दोनों कन्सलटेन्ट ने अपनी–अपनी ग्राम पंचायतों की आडिट प्रक्रिया में सहभागिता की। इसी प्रकार जिले स्तर पर आडिट टीम को दिए जा रहे प्रशिक्षण में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

जनपद–देवरिया, विकास खण्ड–गौरीबाजार की ग्राम पंचायत करजही

कार्यवाही के समय श्रीमती पूनम जायसवाल DSAC, खण्ड विकास अधिकारी गौरी बाजार उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता श्री गन्नी जो जाबकार्ड धारक हैं के द्वारा की गई, ग्राम सभा की बैठक में श्री सरसचन्द्र गुप्ता, BSAC टीम के सदस्य श्री ओमप्रकाश, श्री हरिकेश, श्रीमती नूरजहां एवं श्रीमती नीलम तथा ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत सिंह, ग्राम पंचायत सचिव, श्री विष्णु प्रकास सिंह तकनीकी सहायक आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत में कुल 148 जाब कार्ड धारक हैं जिसमें 64 सक्रिय जॉबकार्ड धारक हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मनरेगा के अन्तर्गत कुल 189875 रू0 व्यय करके कुल 06 कार्य कराए गए हैं। कराए गए कार्यों का सोशल आडिट टीम द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया तथा उनके द्वारा कार्य संतोषजनक पाया गया, उपस्थित लोगों ने कार्यों की पुष्टि की। बैठक में उपस्थित ग्राम वासियों की संख्या लगभग 25–30 थी जो **अपेक्षाकृत** कम है। करजही में पोखरी खुदाई में लगे मजदूर श्री गन्नी प्रसाद उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा लगभग 28 दिन कार्य किया गया है और मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो गया है। करजही में पिच सड़क से रमेश्वर प्रसाद के घर तक मिट्टी कार्य पर मजदूर मालती देवी और संजय आदि उपस्थित थे। उनके द्वारा कार्य किए जाने की पुष्टि की गई तथा बताया गया कि समस्त मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो गया है। मनरेगान्तर्गत सभी 07 अभिलेख पूर्ण पाए गए, कराए गए कार्यों की **वाल राइटिंग** नहीं की गई। SECC के अन्तर्गत 05 लाभार्थी PMAY-G की स्थाई पात्रता सूची में शामिल थे। जिसमे से **सत्यापन के समय एक लाभार्थी अपात्र पाया गया।** शेष 04 में से वर्ष 2017–18 में 02 आवास शबरूलनिश, पत्नी इदरिश तथा श्रीमती मनोरमा पत्नी अनिल को प्राप्त है दोनो आवास पूर्ण है और इसमें शौचालय बनाया गया है।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार की ग्राम पंचायत करजही की सोशल आडिट ग्रामसभा में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री एम0पी0 सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जनपद–देवरिया, विकास खण्ड–गौरीबाजार की ग्राम पंचायत–ककवल

मौके पर **श्री सुभाष चन्द्र कुशवाहा,** BRP **अनुपस्थित थे।** टीम के सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद, खुशबूनिशा, दिनेश यादव, तथा भिखारी प्रसाद उपस्थित थे। ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त निषाद, ग्राम पंचायत सचिव, कु0 प्रियंकामल्ल तथा ग्राम रोजगार सेवक, श्री संतोष कुमार कनौजिया भी मौके पर उपस्थित थे। वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कुल 176925 रू0 व्यय करके कुल 04 कार्य कराए गए। टीम सदस्यों द्वारा बताया गया कि 22–01–2019 को टीम के साथ मिलकर सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा सभी कार्य मौके पर ठीक पाए गए। कार्यों की सूची उपस्थित लोगों के समक्ष पढ़कर सूनाई गई, ग्रामवासियों द्वारा उसकी पुष्टि की गई। मौके पर रामदास, हुबलाल, सुदामा, अच्छेलाल आदि मजदूर उपस्थित थे। उनके द्वारा किए जाने की पुष्टि की गई। श्री हुबलाल द्वारा बताया गया कि उन्हें रमेश के खेत से रामदास के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य की मजदूरी का **भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।** मौके पर उपस्थित **खण्ड विकास अधिकारी** से अपेक्षा की गई कि उक्त का परीक्षण कराकर **एक सप्ताह में मजदूरी का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।** मनरेगा अभिलेख पूर्ण पाए गए तथा मजदूरों के जाब–कार्ड पर भी कार्य का अंकन किया गया है।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार की ग्राम पंचायत ककवल में आयोजित सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत SECC सूची 2011 के अनुसार 08 पात्र व्यक्ति हैं। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 02 लोगों को आवास दिया गया है। दोनों आवास टीम के सदस्यों के सदस्यों के सत्यापन एंव ग्रामवासियों से पूछताछ में पूर्ण पाए गए। इन्द्रावती पत्नी दरोगा द्वारा बताया गया कि उन्हें आवास हेतु रू0 120000 प्राप्त हो गया है तथा मनरेगा मजदूरी भी रू0 15750 प्राप्त हो गई है किन्तु **शौचालय अभी तक नहीं बना है।** इसी प्रकार केशरी पत्नी कमला की स्थिति भी पाई गई। आवासों में लाभार्थियों के अतिरिक्त **अन्य मजदूरों को कार्य में लगाकर के मनरेगा से मजदूरी का भुगतान किया गया जो नियमानुसार नहीं होनी चाहिए।** सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में श्री सुभाष चन्द्र कुशवाहा, BRP के अनुपस्थित रहने पर जिला विकास अधिकारी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।

जनपद प्रयागराज के अर्न्तगत DIRD बसनेहटा, विकास खण्ड प्रतापुर में सोशल आडिट टीम सदस्यों के प्रशिक्षण में सहभागिता

दिनांक 19–01–2019 को जनपद प्रयागराज में सोशल आडिट टीम सदस्यों के प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण किया गया। DIRD बसनेहटा, विकास खण्ड प्रतापुर में स्थित है। दिनांक 17–01–2019 से जनपद के 02 विकास खण्डों उरूवा के 32 और जसरा के 32 सोशल आडिट टीमों सदस्यों का प्रशिक्षण होना प्रस्तावित था। जिसके सापेक्ष उरूवा के 22 और जसरा के 24 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। उक्त प्रशिक्षण सत्र के निदेशक, श्री गौरी शंकर एवं वरिष्ठ प्रशिक्षक, श्री अनुज सिंह, प्रभारी DSAC द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक का माकड्रिल कराया जा रहा था। प्रशिक्षणार्थियों से जानकारी प्राप्त करने पर उनके द्वारा बतया गया कि भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था सन्तोषजनक रही। जिला प्रशिक्षण अधिकारी, डा0 संजय कुमार द्वारा सोशल आडिट के विभिन्न पहलुओ पर संक्षिप्त चर्चा की गई एवं सोशल आडिट के उद्देश्य तथा सोशल आडिट टीम सदस्यों के दायित्व के बारे में चर्चा की गई। प्रशिक्षण संतोषजनक पाया गया किन्तु **प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अत्यन्त खराब पाई गई।** जिला प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व के सत्र में जिसमें कौड़िहार से 60 तथा सोरांव से 36 सोशल आडिट टीम सदस्यों का प्रशिक्षण होना प्रस्तावित था। जिसके सापेक्ष क्रमशः मात्र 20 एवं 23 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग

जनपद प्रयागराज के अर्न्तगत DIRD बसनेहटा, विकास खण्ड प्रतापुर में सोशल आडिट टीम सदस्यों के 03 दिवसीय प्रशिक्षण में सहभागिता।

जनपद प्रयागराज के अर्न्तगत DIRD बसनेहटा, विकास खण्ड प्रतापुर में आयोजित सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण सत्र में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री एम0पी0 सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया।

किया। वर्तमान सत्र में कौड़िहार से 05 तथा सोरांव से 03 प्रतिभागी ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह बताया गया कि 18–01–19 जिला विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया गया एवं प्रतिभागियों को विभिन्न बिन्दुओं पर उनके द्वारा जानकारी दी गई। दोनो प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षणार्थियों की **संख्या कम होने के कारण सोशल आडिट कार्य प्रभावित होने की पूरी संभावना है।**

दिनांक 21–01–19 को जनपद सन्तरविदास नगर एक सत्र का प्रशिक्षण संचालित होना शेष है। जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज एवं इन्चार्ज DSAC से यह अपेक्षा की गई कि उक्त सत्र में भी अपने जनपद के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सोशल आडिट रिपोर्ट के अपलोडिंग एवं अन्य बिन्दुओं पर जिला विकास अधिकारी / प्रभारी DSAC से चर्चा की गई जो निम्नवत हैः–

1. जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद स्तर पर सोशल आडिट रिपोर्ट के अपलोडिंग हेतु कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हैं।
2. प्रभारी DSAC द्वारा बताया गया कि सोशल आडिट ग्राम सभा के बाद 02 कार्य दिवस में सोशल आडिट रिपोर्ट अपलोडिंग नहीं की जाती है, अपितु ब्लाक सभा के पश्चात की जाती है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के सोशल आडिट हेतु कन्टीजेन्सी की धनराशि जनपद द्वारा निदेशालय को भेज दी गई है।
4. ब्याज एवं अप्रयुक्त (अवशेष) मद की धनराशि जनपद द्वारा दिनांक 21–01–19 तक निदेशालय को वापस कर दी जाएगी।

जनपद श्रावस्ती में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विद्यमान स्थिति का अवलोकन

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 17.01.2019 को जनपद श्रावस्ती का भ्रमण किया गया। सर्वप्रथम जिला विकास अधिकारी एवं जिला सोशल आडिट समन्वक से विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:

1. जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) के अर्न्तगत निर्धारित प्रशासनिक मद की धनराशि सोशल आडिट निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है।
2. सोशल आडिट टीम के सदस्यों के चयन करने हेतु विज्ञापन प्रसारित किया गया है तथा चयन हेतु समिति का भी गठन करा लिया गया है। 31.01.2019 तक टीम के सदस्यों का चयन पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष में सोशल आडिट में दुरूपयोग की गयी धनराशि का वसूली आदेश जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जारी करा दिया गया है जिसकी वसूली शीघ्र ही कर ली जायेगी।
4. जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि जनपद में कम्प्यूटर उपलब्ध है तथा इण्टरनेट हेतु प्रतिवर्ष रु 10,000.00 की धनराशि प्राप्त हो रही है।
5. सोशल आडिट ग्राम सभा के बाद सोशल आडिट रिपोर्ट जनपद मुख्यालय पर 4–5 दिनों में प्राप्त होती है।
6. जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि सोशल आडिट प्रतिवेदनों के भारत सरकार के Website पर अपलोड करने में सबसे बड़ी समस्या सर्वर के डाउन होने की है। यदि किसी ग्राम पंचायत की सूचना आंशिक फीड करने के पश्चात् सर्वर डाउन हो जाता है तो पुनः उस ग्राम पंचायत के Open करने पर थ्ममकमक दिखाता है और आगे की सूचनाऐं उसमें फीड नहीं हो पाती हैं।
7. निदेशालय की Website पर नई ग्राम पंचायतें फीड नहीं की गई हैं जिससे डैُ नहीं हो पा रहा है।
8. E.P.F. में 03 लोगों की जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाने की वजह से KYC फीड नहीं हो पा रहा है।

जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना की ग्राम पंचायत भगवानपुर बनकट की सोशल आडिट कार्यवाही में सहभागिता

जिला विकास अधिकारी श्री विनय कुमार त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, बी0आर0पी0 श्री उमेश कुमार मिश्र, टीम सदस्य श्री रामधीन राव, तेगधर तथा श्रीमती मंजू देवी, ग्राम प्रधान श्रीमती सुनरी देवी, सचिव श्री राजकुमार तिवारी, ग्राम रोजगार सेवक कु0 नीलम यादव, तकनीकी सहायक श्री अवधेश कुमार तथा लगभग 100 ग्रामवासी/लाभार्थी उपस्थित थे। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता श्री अवधराम नायक द्वारा की गयी।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कुल 04 कार्य कराये गये हैं जिस पर रु0 72,975.00 श्रमांश तथा रु0 3,200.00 सामग्री पर भुगतान किया गया है। सामग्री का भुगतान चक मार्ग से इटौंजा बार्डर तक भूमि सुधार कार्य पर नोटिस बोर्ड के रूप में किया गया है किन्तु मौके पर **नोटिस बोर्ड लगा नहीं पाया गया।**

जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना की ग्राम पंचायत भगवानपुर बनकट की सोशल आडिट ग्रामसभा में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री एम0पी0 सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मनरेगा मजदूरों द्वारा बताया गया कि उन्हें मजदूरी का भुगतान समय से नहीं प्राप्त होता है। मनरेगा से सम्बन्धित **अभिलेख अपूर्ण** पाये गये। सोशल आडिट टीम द्वारा मौका सत्यापन के दौरान तकनीकी सहायक द्वारा MB उपलब्ध नहीं कराई गयी। 02 प्रकरण प्रधानमन्त्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत **90 दिन से अधिक भुगतान** के प्रकाश में आये जिसमें श्रीमती मझिला पत्नी राम समुझ को 01 दिन और श्रीमती रीता देवी पत्नी जगदम्बा को **08 दिन की अधिक मजदूरी भुगतान** की गई है जिसकी **वसूली वांछित है।** 01 कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया गया है जिस पर रु0 38,850.00 का श्रमांश और रु0 3,01,316.00 सामग्री पर व्यय किया गया है। सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन टीम द्वारा किया गया और गुणवत्ता ठीक बताया गया।

प्रधानमन्त्री आवास योजना(ग्रामीण), ग्राम पंचायत सचिव के पास SECC और स्थाई प्रतीक्षा सूची **उपलब्ध नहीं पायी गयी** न ही सोशल आडिट टीम के सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी। 2017–18 में कुल 07 आवास ग्राम पंचायत में बनवाये गये हैं जिसमें 02 अल्पसंख्यक के हैं। सभी आवासों पर छत पूर्ण है किन्तु प्लास्टर व रंगाई / पुताई आदि का कार्य अपूर्ण है। मौके पर शोमन पत्नी अकबर अली, कान्ती पत्नी राम प्रसाद, गौरी पत्नी श्याम सुन्दर उपस्थित थे। उनके द्वारा रु0 1,20,000.00 आवास निर्माण हेतु प्राप्त होने की पुष्टि की गई। 01 आवास को छोड़कर सभी में शौचालय पूर्ण पाये गये।

जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना की ग्राम पंचायत भरथापुर की सोशल आडिट की कार्यवाही में सहभागिता।

कार्यवाही के समय जिला विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर श्री राधेश्याम, टीम सदस्य श्री दिलीप कुमार राव और शिवपाल, ग्राम प्रधान श्री रवीमणिकान्त सिंह, सचिव मंगल प्रसाद, ग्राम रोजगार सेवक श्री प्रशान्त कुमार सिंह, तकनीकी सहायक एवं 60–70 ग्रामवासी/लाभार्थी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता श्री विकास सिंह द्वारा की गई।

जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड इकौना की ग्राम पंचायत भरथापुर की सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत 2017–18 में ग्राम पंचायत में कुल 07 कार्य कराये गये हैं जिसका रु0 6,91,425.00 श्रमांश एवं रु0 16,000.00 सामग्री पर व्यय किया गया है। टीम सदस्यों द्वारा बताया गया कि सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है। कार्यो की गुणवत्ता ठीक पायी गयी, उनके द्वारा बताया गया कि **कहीं–2 कार्य पर सूचनापट्ट नहीं लगा है।** इस पर ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि RCC के सूचनापट्ट सभी जगह लगे थे, कहीं–कहीं **ट्रैक्टर आने–जाने से टूट गये हैं जो मौके पर गिरे पड़े हैं,** जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। बी0आर0पी0 को निर्देशित किया गया कि मौके पर पुनः सत्यापन कर लें। मौके पर उपस्थित मजदूरों श्री जानकी प्रसाद, देवतादीन एवं ननकू द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि की गयी और सभी मजदूरों द्वारा बताया गया कि उनका कोई भी मजदूरी का भुगतान लम्बित नहीं है। मनरेगा के अन्तर्गत सभी अभिलेख पूर्ण पाये गये।

प्रधानमन्त्री आवास योजना(ग्रामीण), इस ग्राम पंचायत में कुल 26 स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र लाभार्थी हैं जिनमें से 2017–18 में 06 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। सभी आवास टीम के सत्यापन में पूर्ण पाये गये, कुछ आवासों में अभी शौचालय नहीं बनाये गये हैं। ग्राम पंचायत सचिव से उन्हें तुरन्त शौचालय उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सरिता पत्नी गुड्डू, रामकली पत्नी खरगीराम, हसीना पत्नी खुर्शीद उपस्थित थे, इनके द्वारा रु 1,20,000.00 आवास निर्माण हेतु प्राप्त होने की पुष्टि की गयी।

जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा की ग्राम पंचायत अमहर पट्टी दक्षिणी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट

ग्राम पंचायत अमहर पट्टी दक्षिणी में सोशल आडिट कार्य को देखा गया। जिला विकास अधिकारी बलिया श्री शशिमौलि मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी रसड़ा श्री अशोक कुमार, जिला सोशल आडिट समन्वक श्री अवधेश कुमार चौरसिया, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी श्री मनीष कुमार चौधरी, बी0आर0पी0 श्री श्रीनाथ राम, टीम के सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद, श्रीमती अनीता सिंह एवं श्री शारदानन्द यादव, ग्राम प्रधान श्री मुरारी तिवारी, सचिव श्री रवीन्द्रनाथ यादव, ग्राम रोजगार सेवक श्री संतोष कुमार तथा लगभग 60–70 ग्रामवासी/लाभार्थी उपस्थित थे। मनरेगा के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 18,90,172.00 व्यय किया गया है जिसमें श्रमांश रु0 14,23,100.00 तथा सामग्री अंश रु0 4,67,072.00 है। उक्त धनराशि से ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत द्वारा 07 कार्य कराये गये हैं तथा इस ग्राम पंचायत में 02 कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा भी कराये गये हैं। सोशल आडिट टीम द्वारा उक्त सभी कार्यों का सत्यापन किया गया है। उक्त सभी कार्यों को ग्राम सभा की बैठक में पढ़कर सुनाया गया, उपस्थित ग्राम वासियों ने सभी कार्य कराये जाने की पुष्टि की। कुछ मनरेगा मजदूरों से मौके पर सत्यापन किया गया। यथाः–

रामचन्दर के खेत से वशिष्ठ के खेत तक चकबन्द कार्यः– इसमें गुड्डिया पत्नी जयराम द्वारा 18 दिन कार्य किया जाना बताया गया, मस्टर रोल से इसकी पुष्टि की गई। इनको रु0 3,150.00 दिनांक 28.05.2017 को F.T.O. के माध्यम से भुगतान किया गया। हरिन्दर सिंह के खेत का समतलीकरणः– जोन्हिया द्वारा 12 दिन कार्य किया जाना बताया गया, इसकी भी मस्टर रोल से इसकी पुष्टि की गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि तालाब के जीर्णोद्धार के कार्य, जो क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया है, वह उक्त ग्राम पंचायत के **मजदूरों से न करा करके अपितु वहां से 2–3 किमी0 दूर दूसरे ग्राम के मजदूरों से कराया गया है।** क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराये गये कार्य का **मस्टर रोल एवं मापन पुस्तिका मौके पर सोशल आडिट टीम को नहीं उपलब्ध कराया गया। मनरेगा मजदूरों के जॉबकार्ड अपूर्ण पाये गये,** इनमें से कुछ पर तो दिनांक 11.07.2014 के बाद कोई प्रविष्टि नहीं की गई। मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित 07 अभिलेखों में सभी अपूर्ण पाये गये जिसके लिए श्री संतोष कुमार, ग्राम रोजगार सेवक पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिला विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समस्त अभिलेख पूर्ण कराने एवं **ग्राम रोजगार सेवक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।**

इस ग्राम पंचायत में प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) SECC सूची के अनुसार कुल 23 व्यक्ति पात्र हैं जिसमें से वर्ष 2017–18 में 04 को आवास दिया गया है, जिसमें से 01 आवास पूर्ण है शेष 03 अपूर्ण हैं बताया गया कि इसमें 02 आवास वित्तीय वर्ष 2018–19 में 19.12.2018 को स्वीकृत करके प्रथम किस्त आबंटित की गई है जिससे आवास अपूर्ण है। लाभार्थियों से वार्ता करने पर उनके द्वारा धन प्राप्त होने की पुष्टि

की गई है। ग्राम सभा की बैठक की **अध्यक्षता श्री विनोद कुमार जो मनरेगा में कार्य करते हैं, के द्वारा की गई।**

जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा की ग्राम पंचायत अमहर पट्टी उत्तरी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट

ग्राम पंचायत अमहर पट्टी उत्तरी में सोशल आडिट कार्य को देखा गया। जिला विकास अधिकारी बलिया श्री शशिमौलि मिश्र, खण्डविकास अधिकारी रसड़ा श्री अशोक कुमार, जिला सोशल आडिट समन्वक श्री अवधेश कुमार चौरसिया, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी श्री मनीष कुमार चौधरी, BSAC कु0 पूनम टीम के सदस्य श्री भोलाराम एवं प्रमिला मौर्य ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र राम तथा ग्राम रोजगार सेवक श्री मती रमिता सिंह मौके पर उपस्थित थी। बैठक की अध्यक्षता श्री भोलाराम जो जॉबकार्डधारी हैं के द्वारा की गई। मनरेगा के अन्तर्गत इस ग्राम पंचायत में कुल 08 कार्य कराये गये हैं जिनमें से 07 कार्य ग्राम पंचायत के 01 कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया है। MIS के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायत में कुल रु0 16,06,325.00 का व्यय दर्शाया गया है। **ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम**

जनपद बलिया के विकास खण्ड रसड़ा की ग्राम पंचायत अमहर पट्टी दक्षिणी में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री एम0पी0 सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रधान तथा ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा इससे भिन्न राशि बताई गई, कभी रु0 23,85,889.00 कभी सम–सामग्री की अलग–अलग धनराशि रु0 27,13,564.00 की धनराशि व्यय बतायी गयी। यह सब मौखिक रूप से बताया गया कोई भी प्रमाणिक अभिलेख न तो ग्राम पंचायत सचिव न ही ग्राम रोजगार सेवक के पास उपलब्ध था। जिला विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि ग्राम पंचायत अभिलेख मंगाकर उसका परीक्षण कर लें और सही स्थित से अवगत करायें। यद्यपि कराये गये कार्यों की सूची उपस्थित ग्रामवासियों/लाभार्थियों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो कार्यों के कराये जाने की पुष्टि उनके द्वारा की गयी। जॉबकार्ड धारकों द्वारा बताया गया कि ग्राम रोजगार सेवक द्वारा उनके जॉबकार्ड पर प्रविष्टियाँ की जाती हैं परन्तु मौके पर कोई भी **जॉबकार्ड उपलब्ध नहीं था।** मनरेगा से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अपूर्ण पाये गये। ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश राम निहायत लापरवाह** कर्मचारी प्रतीत होते हैं उनके पास न तो मनरेगा से सम्बन्धित कोई जानकारी है न ही आवासों की स्थायी पात्रता सूची उपलब्ध थी।

प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) से सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव के पास स्थाई पात्रता **सूची उपलब्ध न होने के कारण** यह जानकारी नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत में कुल **कितने लाभार्थी आवास के पात्र हैं।** वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस ग्राम पंचायत में 16 आवास दिये गये हैं जिसमें SC के 13, ST के 01 और अल्पसंख्यक के 02 लाभार्थी हैं। आवासों का मौके पर टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी आवास पूर्ण बताये थे मौके पर 03 आवासों का **सत्यापन किया गया** जिसमें से 01 आवास छत स्तर तक निर्मित पाया गया। 16 आवासों में से केवल 05 को शौचालय निर्माण की धनराशि दी गई है जिसमें से 03 पूर्ण हैं 02 अभी भी निर्माणाधीन हैं। अपेक्षा की गई कि सभी आवासों में शौचालय का निर्माण करा दिया जाए। मौके पर रईस, जिनको आवास दिया गया, उनकी पत्नी उपस्थित थी उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें कुल रु0 1,20,000.00 की धनराशि प्राप्त है साथ ही उनके पति को 90 दिन की मजदूरी भी प्राप्त है किन्तु शौचालय अभी तक अप्राप्त है।

जनपद अयोध्या के क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, डाभा सेमर में आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 15.01.2019 को क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, डाभा सेमर जनपद अयोध्या में सोशल आडिट टीम के सदस्यों को दिये जा रहे प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के सोशल आडिट टीम के 52 सदस्यों का दिनांक 14.01.2019 से 16.01.2019 तक प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित था, जिनका प्रशिक्षण दिनांक 14.01.2019 से प्रारम्भ है, प्रशिक्षण में कुल 41 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि 02 प्रतिभागी दिनांक 15.01.2019 को दोपहर में उपस्थित हुए, जिन्हें वापस कर दिया गया। निरीक्षण के समय सोशल आडिट के परिक्षणीय बिन्दु पर चर्चा की जा रही थी। प्रशिक्षार्थियों से एक–एक बिन्दु पढ़ाकर, उस पर विस्तृत चर्चा की जा रही थी। सोशल आडिट के उद्देश्य एवं टीम के सदस्यों के दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। कोर्स निदेशक द्वारा मनरेगा के दृष्टिकोण के बारे में प्रशिक्षार्थियों को विस्तृत जानकारी दी गई। भोजनावकाश के बाद प्रशिक्षार्थियों को गाँव में क्षेत्र भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित था, जिसके लिए 02 छोटी बसों की व्यवस्था मौके पर की गई थी। प्रशिक्षार्थियों की भोजन व्यवस्था एवं उसकी गुणवत्ता की स्थिति की देखा गया, जो कि संतोषजनक पाया गया। प्रशिक्षार्थियों से उनके ठहरने एवं भोजन व्यवस्था आदि के बारे में चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी संतोष व्यक्त किया गया। प्रशिक्षार्थियों को बैग एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी गई थी तथा मानदेय के भुगतान हेतु सभी के खाता संख्या भी प्राप्त कर लिए गये हैं।

इस प्रकार संस्थान पर प्रशिक्षण एवं भोजन आदि की व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

जनपद अयोध्या के क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, डाभा सेमर में आयोजित प्रशिक्षण में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री एम0पी0 सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जनपद खीरी, के विकास खण्ड मितौली की सोशल आडिट में प्रतिभाग करना

सर्वप्रथम विकास खण्ड कार्यालय मितौली में पहुँचकर जिला विकास अधिकारी खीरी, श्री अनिल कुमार सिंह के साथ सामान्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमन्त्री आवास योजना(ग्रामीण), प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रु0 54.44 लाख की धनराशि सोशल आडिट निदेशालय को भेजी जा चुकी है तथा ब्याज की धनराशि एवं गत वर्ष की अवशेष धनराशि शीघ्र भिजवा दी जायेगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि हेतु **04 कर्मियों की** KYC **अपलोडिंग में समस्या आ रही है।**

जनपद खीरी, विकास खण्ड मितौली की ग्राम पंचायत खंजन नगर में सोशल आडिट कार्यवाही में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जिला विकास अधिकारी से गत वर्षों की आडिट में पायी गयी दुरूपयोग की धनराशि की वसूली की समीक्षा की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली हेतु पत्राचार कराया गया है तथा जिलाधिकारी स्तर से भी पत्र प्रेषित किये गये हैं किन्तु वसूली नहीं हो पायी है। जिला विकास अधिकारी को बताया गया कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण करते रहें।

आगामी वर्ष के लिए जनपद में 18 बी0आर0पी0 का पैनल बनाया जाना है जिसके सापेक्ष 79 आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं, जिनमें 66 आवेदन अर्हता की श्रेणी में आते हैं। जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि पैनल गठन में कोई समस्या नहीं होगी। सोशल आडिट टीम हेतु 612 सदस्यों के सापेक्ष 935 आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं, तथा समय से टीमों का गठन कर लिया जायेगा। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 559 के सापेक्ष 540 सोशल आडिट पूर्ण कर ली जाएगी। टीमों की कमी के कारण कैलेण्डर के अनुसार शत् प्रतिशत आडिट नहीं हो पा रही है क्योंकि चयनित व्यक्तियों के सापेक्ष समस्त

सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में कम्प्यूटर उपलब्ध है तथा इण्टरनेट मद में आवंटित धनराशि रु0 10,000.00 का उपयोग कर लिया गया है, उन्होंने यह भी कहा कि इस मद में कुछ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। सोशल आडिट टीमों की रिपोर्ट प्राप्त होने में 05–06 दिन का समय लग रहा है तथा फीडिंग में भी 05–06 दिनों का समय लग रहा है।

सोशल आडिट जिला समन्वयक ने बताया कि बड़ा जनपद होने के कारण 02 लॉगिन पासवर्ड की आवश्यकता है। बताया गया कि श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रोग्रामर सोशल आडिट से वार्ता कर पासवर्ड प्राप्त कर लें।

जनपद खीरी, विकास खण्ड मितौली की ग्राम पंचायत खंजन नगर–ग्राम सभा में प्रतिभाग करना।

दिनांक 24.01.2019 को विकास खण्ड मितौली, जनपद खीरी के ग्राम पंचायत खंजन नगर की सोशल आडिट ग्राम सभा की कार्यवाही में प्रतिभाग किया गया। श्री राजकुमार कुशवाहा, मण्डल सोशल आडिट कोआर्डिनेटर उपस्थित थे।

इस ग्राम पंचायत की आडिट श्री अशोक सक्सेना, बी0आर0पी0 द्वारा फैसिलिटेट की गई है। आडिट हेतु डाउनलोड किये गये प्रपत्रों का प्रिंट जिला विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है बल्कि विकास खण्ड से टीम द्वारा जाकर प्राप्त किया गया है।

जिला विकास अधिकारी से अनुरोध किया गया कि प्रपत्रों का प्रिंट आडिट टीम को अपने स्तर से उपलब्ध करा दिया करें। टीम द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना के लाभार्थियों से ही सम्पर्क किया गया है। उपस्थित जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर एवं बी0आर0पी0 को बताया गया कि भविष्य में कार्य कर चुके सभी श्रमिकों से डोर टू डोर मिलकर कार्य दिवस एवं मजदूरी भुगतान की जानकारी प्राप्त की जाए। इस ग्राम पंचायत में वर्ष 2017–18 में 09 कार्य कराये गये हैं जिन्हें पढ़कर उपस्थित ग्रामीणों को सुनाया गया। उपस्थित लोगों ने सभी कार्य होने तथा उन पर व्यय की गई धनराशि के बारे में पुष्टि की।

खड़ंजा कार्य में लगाई गई ईटों की मात्रा एवं उनकी दरों को पढ़कर सुनाया गया जिसकी पुष्टि ग्रामीणों द्वारा की गयी। उपस्थित श्रमिकों के जॉबकार्ड देखे गये जिनमें प्रविष्टियां पूरी पायी गयी। आडिट में पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये किसी भी कार्य पर **नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाये गये हैं।**

जनपद खीरी, विकास खण्ड मितौली की ग्राम पंचायत खंजन नगर में सोशल आडिट कार्यवाही में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रधानमन्त्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में इस ग्राम पंचायत में कुल 53 आवास स्वीकृत हुए थे जिनमें से 52 आवास पूर्ण हो गये हैं, एक लाभार्थी द्वारा पत्नी की बीमारी के फलस्वरूप पूर्ण नहीं कराया गया था। वर्तमान में इस आवास पर कार्य कराया जा रहा है। लाभर्थी द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही आवास पूरा कर लिया जायेगा। 14 लाभार्थियों द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों द्वारा गैस कनेक्शन लिया गया है।

जिला विकास अधिकारी खीरी द्वारा भविष्य में होने वाली आडिट हेतु प्रपत्रों के डाउनलोड कर उपलब्ध कराने तथा श्रमिकों का डोर टू डोर सर्वे कराने का आश्वासन दिया गया।

DIRD कानपुर नगर में जनपद कानपुर देहात की सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना

दिनांक 18–1–2019 को DIRD कानपुर नगर में जनपद कानपुर देहात की सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन देखा गया। इस सत्र हेतु 65 टीम सदस्यों का प्रशिक्षण प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष 41 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया, इस प्रकार इस प्रशिक्षण सत्र में 24 प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित रही। प्रशिक्षण में लगभग 15–16 रात्रि निवास के लिए रूके थे। जिला विकास अधिकारी, कानपुर देहात कृपया उक्त अवशेष टीम सदस्यों/प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें तथा उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आगामी सत्र में आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रशिक्षण सत्रों में श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, डेरापुर, तकनीकी सहायक, करूणेन्द्र सिंह, DSAC सुमन यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी, कानपुर नगर एवं ए0पी0ओ0 मनरेगा श्री नृपेन्द्र दूबे, द्वारा अतिथि वक्ता के रूप में कक्षाएं ली गई थी। उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा **बताया गया** कि उन्हे **सोशल आडिट प्रकिया की जानकारी भलीभांति मिल गई।** प्रशिक्षण का समापन जिला विकास अधिकारी, श्री अभिराम त्रिवेदी द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन संतोषजनक पाया गया।

DIRD कानपुर नगर में जनपद कानपुर देहात की सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हसनगंज की ग्राम पंचायत फरीदीपुर में आयोजित सोशल आडिट कार्यक्रम में प्रतिभाग करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त ग्राम पंचायत फरीदीपुर विकास खण्ड हसनगंज जनपद उन्नाव में सोशल आडिट के प्रथम दिन प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर प्रा0विद्यालय फरीदीपुर परिसर में आयोजित नरेगा एंव प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों से वार्ता की गई। उपस्थित श्रमिकों द्वारा बताया गया कि उन्हें बैंक के माध्यम से किए गए कार्यों के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। श्रमिकों के जाब कार्डों में प्रविष्टियां अपूर्ण पाई गई। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक नहीं है जिसके फलस्वरूप कुछ अभिलेख अधूरे हैं। जिन्हें पूर्ण कर

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हसनगंज की ग्राम पंचायत फरीदीपुर में आयोजित सोशल आडिट कार्यक्रम में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

लिया जाएगा। सोशल आडिट टीम सदस्यों के सत्यापन हेतु सभी अभिलेख उपलब्ध कराए गए जिनका परीक्षण सोशल आडिट टीमों द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 2017–18 में इस ग्राम पंचायत में कुल 06 कार्य कराए गए जिनका विवरण पढ़कर सुनाया गया। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा कार्यों के पूर्ण होने की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत 08 आवासों का आवंटन वर्ष 2016–17 एवं 17–18 में किया गया। लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि उन्हें निर्माण हेतु पूरी धनराशि मिल चुकी है जिससे आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन लाभार्थियों को नरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य मजदूरी का भुगतान भी प्राप्त हो गया है तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालयों का निर्माण भी करा लिया गया है। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं की गई।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हसनगंज की ग्राम पंचायत फरीदीपुर में आयोजित सोशल आडिट कार्यक्रम में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड कस्मांडा की ग्राम पंचायत बम्भेरा में आयोजित सोशल आडिट प्रक्रिया में प्रतिभाग करना।

दिनांक 14–1–2019 को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत बम्भेरा में आयोजित सोशल आडिट प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया। उपायुक्त, नरेगा श्री सुशील कुमार सिंह, DSAC सीतापुर, सचिव ग्राम पंचायत बम्भेरा, सोशल आडिट टीम के सदस्य, ग्राम प्रधान तथा 50–60 श्रमिक लाभार्थी उपस्थित थे। वर्ष 2017–18 में इस ग्राम पंचायत में 249 श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया है। सोशल आडिट टीम द्वारा श्रमिकों से डोर–टू–डोर सम्पर्क किया गया जिसमें से 91 श्रमिकों से टीम द्वारा मजदूरी भुगतान की जानकारी की गयी है सोशल आडिट टीम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के 48 श्रमिकों से भी सम्पर्क कर उनसे जानकारी ली गई थी। वर्ष 2017–18 में इस ग्राम पंचायत में 06 कार्य कराए गए है जिसकी पुष्टि उपस्थित ग्रामीणों द्वारा की गई । इनमें से 03 कार्यों की माप–पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई। सोशल आडिट के समय उपस्थित उपायुक्त नरेगा द्वारा फोन करके तकनीकी सहायक (TA) को बुलाया गया तथा माप–पुस्तिका प्राप्त करके सोशल आडिट टीम को उपलब्ध कराई गई। ग्राम पंचायत द्वारा 34272 की ह्यूम पाइप खरीदी गई किन्तु क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया। ग्राम पंचायत में रोजगार रजिस्टर पूर्ण नहीं किया गया था एवं 21 जाब कार्डों में इन्ट्री नहीं की गई थी, जिसे पूर्ण कराने हेतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अश्वासन दिया गया। श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नियमानुसार पाया गया। उपस्थित श्रमिकों द्वारा मजदूरी भुगतान की पुष्टि गई। प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रामीण) के उपस्थित लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि उन्हें आवास की तीनों किश्तें प्राप्त हो गई हैं तथा आवास पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड कस्मांडा की ग्राम पंचायत बम्भेरा में आयोजित सोशल आडिट प्रक्रिया में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

RIRD रायबरेली में संचालित सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान करना।

दिनांक 11–1–2019 को RIRD रायबरेली में संचालित सोशल आडिट टीमों को दिए जा रहे प्रशिक्षण को देखा गया। इस प्रशिक्षण सत्र में 48 टीम सदस्यों का प्रशिक्षण प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष दिनांक 10–1–2019 को 19 प्रशिक्षणार्थी ने तथा 11–01–2019 को 25 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। SIRD द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 02–01–2019 को निर्गत किया गया था। RIRD रायबरेली द्वारा दिनांक 05–01–2019 को जिला विकास अधिकारी, रायबरेली को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिसके क्रम में दिनांक 05–01–2019 को जिला विकास अधिकारी, रायबरेली द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को टीम सदस्यों के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में कम उपस्थिति को देखते हुए भविष्य के लिए यह उचित होगा कि **लगभग 15 दिन पूर्व कार्यकम से** SIRD **द्वारा सम्बन्धित संस्थानों को अवगत करा दिया जाए** तथा छूटे हुए प्रशिक्षणार्थियों को आगामी सत्र में समायोजित करते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

RIRD रायबरेली में उपायुक्त, नरेगा, BSAC शिवगढ़, DSAC संकीर्ती दिक्षित, BSAC बछरावां एवं प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा रिसोर्स परसन्स के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि वे प्रशिक्षण से सन्तुष्ट हैं। मेरे द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से **कतिपय प्रश्न पूछे गए** जिसका **संतोषजनक उत्तर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा** दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को दोपहर का जो भोजन दिया गया था उसकी गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। मध्यान्ह भोजन के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विकास खण्ड सतांव के ग्राम पंचायत, कल्यानपुर रैली में DSAC के दिशा–निर्देशन में सोशल आडिट की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की गई। कुल मिलाकर RIRD रायबरेली के माध्यम से संचालित किया जा रहा प्रशिक्षण संतोषजनक पाया गया।

RIRD रायबरेली में संचालित सोशल आडिट टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोशल आडिट निदेशालय के कन्सलटेन्ट श्री उदयराज यादव द्वारा प्रतिभाग किया गया।

DIRD **कन्नौज (छिबरामऊ) में प्रशिक्षण कार्य में प्रतिभाग करना**

दिनांक 15–1–2019 को DIRD **कन्नौज (छिबरामऊ)** में संचालित सोशल आडिट टीमों के 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य को देखा गया। प्रशिक्षण में 42 सदस्यों 35 सदस्य उपस्थित पाए गए। प्रथम दिवस को नरेगा से सम्बन्धित विषय पर सेवानिवृत वरिष्ट प्रशिक्षक श्री आदर्श कुमार श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी गई। इसके उपरान्त श्री आशुतोष कुमार, BSAC तथा श्री विनोद कुमार गौतम, BSAC द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय दिवस को श्री विनोद कुमार गौतम, BSAC द्वारा सोशल आडिट की जानकारी दी गई। प्रशिक्षणार्थी द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण में दी गई जानकारी के आधार पर वे अपने दायित्यों का निर्वहन कर लेंगे। प्रशिक्षण का स्तर संतोषजनक पाया गया।

पहल के परिणाम

- ❖ निदेशालय के विशेषज्ञों द्वारा जमीनी स्तर पर सोशल आडिट की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण से प्रक्रिया में आ रही कमियों एवं समस्याओं का पता चला।
- ❖ नियंत्रक की भूमिका में निदेशालय को आगे की नीति एवं योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
- ❖ निदेशालय के इस प्रयास से सोशल आडिट कर रही टीमों एवं फैसिलिटेटर्स को निष्ठापूर्वक काम करने की आवश्यकता महसूस हुई। Reward and Punishment के सिद्धान्त से उन्हें अनुशासन एवं नियंत्रण का आभास हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि ऊपर से कोई देख रहा है और कभी भी आकस्मिक रूप से देखा जा सकता है।
- ❖ आम जनता एवं लाभार्थियों को यह समझ में आया कि वे अपनी बात, सीधे उच्च स्तर तक पहुँचा सकते हैं
- ❖ प्रशिक्षणार्थियों को भी यह विश्वास हुआ कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उनके रहने और खाने की व्यवस्था को उच्च स्तर से देखा जा रहा है।
- ❖ सोशल आडिट निदेशालय के इस अभिनव प्रयास से आमजन से संवाद स्थापित किया गया। दोनों पक्षों की जवाबदेही तय हुई। जनमानस को बेझिझक अपनी बात रखने का मंच प्राप्त हुआ।

सोशल आडिट टेस्ट चेक – एक पहल

जनपद हरदोई

जनपद हरदोई में वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकास खण्ड बेहन्दर की ग्राम पंचायत बेहसार एवं खरिका में सोशल आडिट टीम द्वारा सम्पादित अंकेक्षण में पाई गई कमियों की टेस्ट आडिट हेतु प्रथमतः विकास खण्ड मुख्यालय पर उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, सम्बन्धित BRP, DSAC एवं BSAC के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत पाई गई कमियों को पढ़कर सुनाया गया। सम्बन्धित कर्मचारी/ग्राम प्रधान

विकास खण्ड मुख्यालय पर आयोजित बैठक

कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके, जिससे इसकी पुष्टि हुई कि सोशल आडिट टीम द्वारा वर्णित कमियां एवं अंकेक्षण कार्य सही था।

(i) ग्राम पंचायत बेहसार की स्थिति–

सोशल आडिट टीम के ड्राफ्ट प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में तीन अपात्र लाभार्थियों, राकेश पुत्र गुरूप्रसाद, इरकन पत्नी सिरदार व गंगा प्रसाद पुत्र नोखेलाल के आवास पहले से पक्के बने होने का उल्लेख है। सोशल आडिट रिपोर्ट में राकेश पुत्र गुरूप्रसाद, के तीन कमरे बरामदा, जीना, इरकन पत्नी सिरदार के दो कमरे बरामदा बांउडरी गेट युक्त पहले से बना आवास तथा योजना का आवास दूसरी जगह पर बनाने का उल्लेख किया गया है। गंगा प्रसाद पुत्र नोखे के दो कमरे बने होने तथा एक मकान दूसरी जगह पर होते हुए भी इन्हें आवास देने का उल्लेख है। प्राप्त धनराशि से इनके द्वारा आवास बनाया ही नहीं गया। ग्राम सभा की बैठक में उक्त तीनों प्रकरणों पर विचार विमर्श के बाद बैठक

में उपस्थित सभी सदस्यों ने तीनों आवासों की धनराशि तीन लाख साठ हजार (360000) ग्राम सचिव से रिकबरी करने की संस्तुति की।

उपरोक्त के सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। खण्ड विकास अधिकारी संध्या रानी ने बताया कि प्रकरण उनके कार्यकाल का नहीं है तथा लेखाकार श्री अवस्थी ने बताया कि लाभार्थियों की पात्रता/आवास शार्टेज के सत्यापन एवं पात्र लाभार्थियों की सूची की पत्रावली उन्हें चार्ज में नहीं मिल पायी है। तत्कालीन लेखाकार श्री सुशील कुमार स्थानान्तरित होकर एक वर्ष पूर्व गये है किन्तु चार्ज नहीं दिये है। इस प्रकार समीक्षा में तीन लाभार्थियों राकेश पुत्र गुरू प्रसाद, इरकन पत्नी सिरदार तथा गंगा प्रसाद पुत्र नोखेलाल को सोशल आडिट टीम द्वारा दर्शाई गई अपात्रता की पुष्टि हुई। इसी प्रकार गंगा प्रसाद पुत्र नोखेलाल का आवास न बनाने पर भी उनको मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में रू0 13300/— का गलत भुगतान भी प्रमाणित हुआ।

(ii) ग्राम पंचायत खरिका की स्थिति–

(क) सोशल आडिट टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत के मजरे झालेहार में नासिर के मकान से लखैचन खेड़ा डामर रोड तक चकरोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आख्या दी गई थी कि पूर्व से बने हुए खडंजा मार्ग पर मिट्टी डालने का कार्य कराना दिखाकर धनराशि का दुरूपयोग किया गया। सोशल आडिट टीम द्वारा इस कार्य पर व्यय रू0 1,89,000/— की धनराशि को दुरूपयोग बताया गया था, जिसकी पुष्टि ग्राम सभा द्वारा की गई थी। इस कार्य का मौके पर सत्यापन करने पर पाया गया कि लगभग 8—10 साल पूर्व खडंजा बना था। सत्यापन के समय उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं टी0ए0 द्वारा बताया गया कि खडन्जे के दोनों तरफ पटरी निर्माण का कार्य किया गया था। यह तर्क विश्वसनीय नहीं पाया गया एवं सोशल आडिट टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सही पाया गया।

(ख) इस ग्राम पंचायत में 16 परिवारों के पति एवं पत्नी दोनों को अलग—अलग जॉब कार्ड देने का प्रकरण सोशल आडिट टीम द्वारा प्रकाश में लाया गया था। इन 16 परिवारों को वित्तीय वर्ष 2017—18 में 100 दिन से अधिक का मजदूरी भुगतान किया गया है, जिसके फलस्वरूप रू0 2,20,850.60 धनराशि का दुरूपयोग प्रतिवेदन में बताया गया था। इस अनियमितता की पुष्टि के लिए जिला मुख्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से MIS रिपोर्ट के आधार पर आख्या प्राप्त की गई। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि पति—पत्नी दोनों को अलग—अलग जॉब कार्ड जारी किये गए है तथा मजदूरी का अनियमित भुगतान किया गया है।

(ग) ग्राम पंचायत खरिका में सोशल आडिट टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 में 06 तथा वित्तीय वर्ष 2017—18 में 04 अपात्र परिवारों को आवास देने की आख्या ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इस सम्बन्ध में ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया

गया। सत्यापन में पाया गया कि ग्राम पंचायत में एक ही नाम के दो व्यक्तियों के होने की स्थिति में गलत आई.डी. का उपयोग कर उसी नाम के अपात्र व्यक्ति को आवास आवंटित कराया गया। सचिव द्वारा लाभार्थियों का चयन करते समय परिवार विवरण के आधार पर पात्रता सूची नहीं बनाई गई एवं अपात्रों को आवास आवंटित करने की कार्यवाही करते हुए धनराशि का दुरूपयोग किया गया। इस प्रकार विकास खण्ड बेहन्दर की ग्राम पंचायत खरिका एवं बेहसार में सोशल आडिट टीमों द्वारा जो वित्तीय अनियमित्ताएँ उल्लिखित की गई है वे टेस्ट आडिट में सही पाई गई।

जनपद हरदोई का भ्रमण

अध्याय–2

प्रचार–प्रसार

विशेषज्ञों के अनुभवों से यह फीड बैक मिला कि सोशल आडिट को आमजन से जोड़ना होगा। सोशल आडिट में प्रतिभाग करना उनके आम जीवन का एक अंग बने, इसके लिए सतत् प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। सरकारी तंत्र से बाहर निकल कर सोशल आडिट को आमजन तक पहुँचाने के लिए कई अभिनव प्रयास किए गए। सर्वप्रथम निदेशालय द्वारा उ0प्र0 के प्रमुख समाचार–पत्र के सभी संस्करणों में विज्ञापन दिया गया।

उ0प्र0 के प्रमुख समाचार–पत्र के सभी संस्करणों में विज्ञापन

यह आवश्यकता महसूस की गयी कि सोशल आडिट के पूर्व ग्राम पंचायत में चार पहिया वाहन अथवा ऑटो द्वारा माइक लगाकर आमजन को ग्राम सभा की बैठक की जानकारी दी जाये और उसमें भाग लेने का आह्वान किया जाये।

जनपद हरदोई में चार पहिया वाहन अथवा ऑटो द्वारा माइक
लगाकर आमजन की होने वाली बैठक की जानकारी दिया जाना।

इस प्रयोग से लोगों में जिज्ञासा बढ़ी और सोशल आडिट का संदेश जन–जन तक पहुॅचा।

अभिनव प्रयासों की श्रँखला में माइक प्रसारण के समय उपस्थित न रहने वाले लोगों एवं सभी को सतत् जानकारी हेतु दीवाल पर सोशल आडिट की कार्यवाही के दिनांक, समय, स्थान की सूचना लिखने का निर्णय लिया गया, जिससे आते–जाते उनकी नजर पड़े।

❖ नये सत्र में जिले के जिला विकास अधिकारी कार्यालय/विकास भवन पर सोशल आडिट के उद्‌देश्य एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाने का निर्णय लिया गया।

❖ इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, कठपुतली के माध्यम से भी सोशल आडिट से आमजन को जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया।

❖ सोशल आडिट का थर्ड पार्टी से आंकलन कराने की भी योजना है। इस कार्य के लिए सकारात्मक सोच एवं जमीनी स्तर पर जुड़ी संस्थाओं का सहयोग लेने का विचार किया जायेगा।

अध्याय–3

सोशल आडिट के क्षेत्र में जनपदों द्वारा किए गए अभिनव प्रयास

जनपद–श्रावस्ती

प्रायः देखा जा रहा था कि सोशल आडिट की बैठको में आमजनमानस/श्रमिकों की सहभागिता उत्साहपूर्वक सुनिश्चित नहीं हो पाती थी जिससे सोशल आडिट का उद्देश्य प्रभावित हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए जनपद–श्रावस्ती में कुछ नए अभिनव प्रयोग के तहत विकास खण्ड–इकौना के ग्राम

जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड
इकौना में प्रचार–प्रसार हेतु आयोजित जन–जागरूकता रैली

पंचायत–कटरा में रैली, बैनर एवं स्लोगन आदि के माध्यम से रैली का आयोजन किया गया इसके कारण से आमजनमानस/श्रमिकों में सोशल आडिट की प्रक्रिया, उद्देश्य आदि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और सोशल आडिट में लोगो द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग किया गया जिसके कारण से सोशल आडिट के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकी।

''गॉव–गॉव सोशल आडिट का यह है पैगाम,
करते हो जो काम, मिला है उसका क्या दाम।''

जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में आयोजित ग्रामसभा की बैठक का आयोजन।

जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में प्रचार– प्रसार हेतु आयोजित जन–जागरूकता रैली

''सोशल आडिट का यह प्रयास,
मिले श्रमिकों को हक एवं अधिकार।''

जनपद–हमीरपुर

1. Entry Conference **का आयोजनः**— जिला विकास 3कारी हमीरपुर की अध्यक्षता एवं उपायुक्त, श्रम रोजगार, हमीरपुर, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, सोशल आडिट टीम सदस्य एवं ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डीनेटर्स की उपस्थिति में ब्लाक स्तर पर इस बैठक का आयोजन दिनांक 25—01—2019 को विकास खण्ड—राठ में किया गया, जिसमें आपके दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों में होने वाली सोशल आडिट की प्रक्रिया पर चर्चा करके इसे और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की रूप रेखा तैयार की गयी, जिससे सोशल आडिट के लिए अच्छा माहौल बनाने में सुविधा हुई।

2. **पम्पलेटस् द्वारा प्रचार प्रसारः**— सोशल आडिट के दौरान अधिक से अधिक समुदाय की जनसहभागिता हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पम्पलेटस का वितरण एवं इन्हें सार्वजनिक एवं गॉव के चहल—पहल वाले स्थानों जैसे—तिराहा, चौराहा, दुकान, देवालय आदि पर चस्पा कराया गया। इन पम्पलेटस् के माध्यम से सोशल आडिट क्यों, कैसे, कब और कहॉ की जानकारी दी गयी।

3. **जागरूकता रैली का आयोजनः**— ग्राम पंचायत कैथी में सोशल आडिट के पूर्व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, सहा0 विकास अधिकारी (पं0), ग्राम सचिव व ब्लाक

सोशल आडिट कोआर्डीनेटर्स, समूह सदस्य, अध्यापकगण एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक– को किया गया, इस रैली में सोशल आडिट से सम्बन्धित स्लोगन/नारों से लिखी हुई दफ्तियों का प्रयोग करके पूरे ग्राम में प्रचार–प्रसार किया गया।

4. मुनादी का आयोजनः– सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक के एक या दो दिन पूर्व प्रत्येक गॉव में मुनादी का आयोजन किया गया जिसमें मुनादी कर्ता द्वारा बैठक के एक या दो दिन पूर्व प्रत्येक गॉव में जानकारी से समुदाय को अवगत कराया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुनादी होने की सूचना ग्राम सचिव द्वारा इसकी विडियों क्लिप बनाकर व्हाट्सअप के माध्यम से जिला विकास अधिकारी को प्रेषित की गयी।

जनपद हमीरपुर में सोशल आडिट के प्रचार–प्रसार हेतु रैली निकालकर पूरी ग्राम पंचायत में भ्रमण करते हुए।

जनपद–वाराणसी (Entry Conference)

जनपद के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ, हरहुआ एवं चिरईगांव के चयनित ग्राम पंचायतों में दिनांक 28–01–2019 से सोशल आडिट सम्पन्न कराने हेतु कैलेण्डर जारी किया गया है। उक्त के क्रम में जनपद के समस्त विकास खण्डों में तैनात ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों एवं समस्त बी0आर0पी0 के सहयोग से निर्धारित तिथियों में सोशल आडिट सम्पन्न कराये जाने हेतु योजना के क्रियान्वयन से जुडे ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात कर्मचारियों (ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायको, ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सचिवों) के मध्य बेहतर समन्वय के लिये जिला विकास अधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, वाराणसी द्वारा 25–01–2019 को विकास खण्ड काशी विद्यापीठ में अपरान्ह 02.30 बजे से विकास खण्ड कार्यालय के सभागार में बैठक की गयी जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर योजना क्रियान्वयन से जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सचिव, समस्त ग्राम रोजगार सहायक एवं समस्त तकनिकी सहायकों उपस्थित रहे उक्त बैठक में विकास खण्ड के अधिकांश ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे।

उक्त बैठक में सर्वप्रथम सोशल आडिट योजना पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रकाश डाला गया

जनपद के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ में आयोजित सोशल आडिट इन्ट्री कान्फ्रेन्स

तथा सोशल आडिट की प्रक्रिया में सोशल आडिट से जुड़े विभिन्न कार्मिकों के कर्तव्यों एवं दायित्वो पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर योजना क्रियान्वयन से जुड़े विभीन्न पणधारकों के दायित्वों पर प्रकाश डालते हुये सोशल आडिट के निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ती हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयें बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों एवं सचिवों के द्वारा व्यक्त की गयी शंकाओं व समस्याओं का निराकरण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया।

उक्त बैठक के पश्चात् अनुभव किया गया है कि सोशल आडिट के दौरान ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्राम पंचायत में भौतिक सत्यापन के दौरान टीमों का समुचित सहयोग किया गया। ग्राम पंचायत में सोशल आडिट जन सम्पर्क के दौरान ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा सहयोग करते हुये ग्राम सभा की बैठक हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, परिणाम स्वरूप अधिकांश शहरीकृत ग्राम पंचायत होने के बावजूद सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठकों में जन सामान्य की उपस्थिति रही।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर तैयार किये गये बी0आर0पी0 पैनल के दो सदस्यों द्वारा कार्य न करने के बावजूद चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने तक निर्धारित तिथियों में जनपद के समस्त ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के सहयोग से विशिष्ट तिथियों में ग्राम पंचायतों के सहयोग से सोशल आडिट हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सका है। उक्त के दौरान अनुभव किया गया है कि इन्ट्री कान्फरेन्स सम्पन्न होने के कारण सोशल आडिट की सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न कराने में क्रियान्वयन विभाग एवं सोशल आडिट यूनिट के मध्य बेहतर सामंजस्य एवं आपसी सहयोग रहा है।

जनपद–हाथरस

जनपद के विकास खण्ड सिकन्दरामऊ की 50 ग्राम पंचायत, विकास खण्ड सहपऊ की 26 ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड सासनी की 26 ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट सम्पन्न कराने के आदेश जारी किए गये।

लगाये गये सोशल आडिट की आमजन को ग्राम पंचायत के सोशल आडिट की जानकारी सुगमता से हो सकने के लिए जारी किए गये कैलेण्डर को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया।

योजनाओं की समीक्षा को जुटेंगी ऑडिट टीमें

सोशल आडिट के सम्बन्ध में दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति।

उपरोक्त के अतिरिक्त जारी कैलेण्डर की छाया प्रति विकास भवन, सम्बन्धित विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कराई गई तथा सोशल आडिट टीमों के माध्यम से ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर मनरेगा मजदूरों से सम्पर्क कर डोर टू डोर ग्राम सभाओं की बैठकों के बारे में जानकारी एवं पैमप्लेटस् बांटे गये।

जनपद में उपरोक्त जारी सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित तिथियों में दिनांक 07.03.2019 तक 80 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष शत् प्रतिशत सोशल आडिट BSAC/BRP के माध्यम से सोशल आडिट टीमों द्वारा समयान्तर्गत सम्पन्न कराया गया। सम्पन्न सोशल आडिटों के दौरान 80 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकों में 660 शिकायतों में से 80 शिकायतें निस्तारित कराई गई एवं 580 शिकायतें अवशेष रही, अवशेष शिकायतों को निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद हाथरस की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्रामसभा की बैठक का आयोजन।

जनपद– हरदोई

वर्ष 2012–13 से जनपद में सोशल आडिट निदेशालय उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में सोशल आडिट अन्तर्गत निरन्तर नये आयाम बनाते हुए जनमानस में जागरूकता पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। जनपद में सोशल आडिट प्रक्रिया को पहले से अधिक गुणत्ता पूर्ण एवं सार्थक बनाने की दिशा में जिला विकास अधिकारी श्री राजितराम मिश्रा के कुशल नेत्रत्व एवं नियन्त्रण में सोशल आडिट अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों द्वारा जनमानस को योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूक करने एवं क्रियान्वयन एजेन्सी से जुडे कर्मचारियों में अपने दायित्वों का बोध कराते हुए पूर्ण निष्ठा ईमानदारी तथा पारदर्शिता के साथ सोशल आडिट में सहयोग देने हेतु प्रेरित करने के लिए निम्न अभिनव प्रयोग किय गये है।

1. इन्ट्री कान्फ्रेंन्स का आयोजनः–

जनपद में सोशल आडिट सम्पन्न कराये जाने के लिए निदेशालय से निर्गत रोस्टर के अनुसार सोशल आडिट

प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में इन्ट्री कान्फ्रेन्स का आयोजन किया गया उक्त बैठकों में विकास खण्ड के समस्त ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, सोशल आडिट टीम के सदस्य, जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, पटल सहायक सोशल आडिट आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जिला विकास अधिकारी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधान मंत्री योजना (ग्रामीण) के सम्बन्ध में विन्दुवार चर्चा की गयी साथ ही सोशल आडिट हेतु आवश्यक प्रपत्रों को उपलब्ध कराने एवं ग्राम सभा सोशल आडिट बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है। उक्त

बैठक में समस्त कर्मचारियों को सोशल आडिट हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण BSAC/BRP

जनपद हरदोई में इन्ट्री कान्फ्रेन्स बैठक

के मोबाइल नम्बर आदि उपलब्ध कराये गये। उक्त बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

उक्त प्रयोग से सोशल आडिट प्रक्रिया सुगम हुई। सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ससमय अभिलेख इत्यादि उपलब्ध कराये गये साथ ही ग्राम सभा की बैठक में जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक तत्परता से कार्य करते हुए भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

1. **ग्राम सभा बैठक से पूर्व जागरूकता रैली का आयोजन :–** ग्राम सभा बैठक से पूर्व सोशल आडिट टीम के सदस्यों ब्लॉक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायतों में जागरूकता रैली निकालकर लोगो को उक्त योजना के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी जिसमें क्रियान्वयन एजेन्सी के कर्मचारियों के अतिरिक्त भारी मात्रा में ग्राम वासियों द्वारा भाग लिया गया। उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत चांदपुर विकास बिलग्राम में दिनांक 19.01.2009 को रैली के आयोजन में भारी संख्या में ग्राम वासी उपस्थित रहे तथा लोगो द्वारा उक्त योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है।

जनपद हरदोई में सोशल आडिट हेतु जनजागरूकता रैली

उक्त प्रयोग से पाया गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों द्वारा पूर्व की अपेक्षा अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज की गयी एवं बैठक में तथा कार्यों के सत्यापन में लोगों द्वारा सहयोग दिया गया साथ ही सोशल आडिट से जुड़े सदस्यों एवं कर्मचारियों द्वारा भी अधिक उत्साह के साथ कार्य किया गया।

3. ग्राम सभा बैठक से पूर्व आटोमाइक द्वारा ग्राम सभा बैठक में के स्थान समय एवं तिथि का प्रचार प्रसार करनाः–

सोशल आडिट निदेशालय से निर्गत निर्देश के क्रम में ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक से एक दिन पूर्व आटो एवं माइक द्वारा ग्राम सभा बैठक की तिथि समय स्थान आदि की सूचना ग्राम पंचायत में भ्रमण कर समस्त ग्रामवासियों को उपलब्ध करायी गयी साथ ही सोशल आडिट के सफल आयोजन हेतु बैठक

जनपद हरदोई में आटो माइक द्वारा प्रचार–प्रसार

मे प्रतिभाग करने हेतु अपील की गयी जिससे सोशल आडिट की गुणवत्ता में सुधार हो सके और लोगों द्वारा अधिकाधिक संख्या में भाग लिया जाए। उदाहरणार्थ विकास खण्ड बिलग्राम, माधौगंज, साण्डी, मल्लावां,

सण्डीला, पिहानी आदि विकास खण्डों में उक्त प्रचार प्रसार किये गये जिसमें ग्राम पंचायत मदारा एवं मुरौली ग्वाल विकास खण्ड विलग्राम में सम्बन्धित ब्लॉक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं सोशल आडिट टीम सदस्य तथा जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

उक्त प्रयोग के परिणाम अत्यन्त सार्थक एवं प्रभावी सिद्ध हुए। पाया गया कि उक्त प्रचार प्रसार के दौरान भी ग्राम वासियों द्वारा सोशल आडिट के प्रति जिज्ञासा प्रगट की गयी एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में पूर्व की अपेक्षा अधिक संख्या प्रतिभाग किया गया तथा निडर होकर लोगों द्वारा अपने प्रश्नों/शिकायतों को खुलकर ग्राम सभा में रखा गया।

अभिनव पहल

"गॉव–गॉव सोशल आडिट का यह है पैगाम,
करते हो जो काम, मिला है उसका क्या दाम।"

"सोशल आडिट का यह प्रयास,
मिले श्रमिकों को हक एवं अधिकार।"

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

7वां तल, पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

दूरभाष : 0522-2630877, फैक्स : 0522-4003787

ई-मेल : socialauditup@yahoo.in

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, 257 गोलागंज, लखनऊ